भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1980

सं० सिरे०/4(5)/80—भारत सरकार ने सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए नामिका का इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्त होंगे :—

1. श्री आर० एम० मेहरा, — अध्यक्ष
बॉम्बे पॉट्रीज एण्ड टाइल्स लि०,
पी० बी० नं० 7166, पाइप रोड,
कुर्ला, बम्बई-400070

2. श्री एच० एल० सोमानी, — सदस्य
हिन्दुस्तान सेनीटरीवेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,
2, रेड क्रास प्लेस
कलकत्ता-700001

3. श्री जी० के० भगत, — सदस्य
बंगाल पॉटीज लि०,
11, सरोजिनी नायडू सरणी,
कलकत्ता-700017

4. श्री बी० श्रीनिवासन, — सदस्य
डब्ल्यू० एस० इन्सूलेटर्स आफ इंडिया लि०,
पी० बी० नं० 1313 सेंट टामस मांउट,
एच० ओ० मद्रास-600016

5. श्री के० के० भाटिया, — सदस्य
यू० पी० सिरेमिक्स एण्ड पॉट्रीज लि०,
मॉडल टाउन, गाजियाबाद-201001
(उत्तर प्रदेश)

6. श्री एम० बी० भजवानी, — सदस्य
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०,
इलैक्ट्रो-पोर्सलेन्स डिवीजन,
बंगलौर-560012

7. डा० वी० पी० महेश्वरी, — सदस्य
निदेशक (ग्लास तथा सिरेमिक्स)
विकास आयुक्त का कार्यालय
(लघु उद्योग)
7 वीं मंजिल, निर्माण भवन
नई दिल्ली

8. डा० एस० के० गुहा, — सदस्य
वैज्ञानिक 'ई'
केन्द्रीय ग्लास तथा सिरेमिक
अनुसंधान संस्थान,
पी० ओ० जादवपुर विश्वविद्यालय
कलकत्ता-700032

9. निदेशक/उप-सचिव, — सदस्य
प्रभारी सिरेमिक उद्योग,
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

10. विकास अधिकारी (सिरेमिक्स) — सदस्य-सचिव
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

(2) नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) सिरेमिक उद्योग के विकास की वर्तमान अवस्था पर विचार करना और इसके त्वरित विकास के लिए अभ्युपायों के बारे में सिफारिश देना;

(ii) विभिन्न सिरेमिक उत्पादों की राज्यवार/क्षेत्रवार आवश्यकताओं का अध्ययन करना और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और क्षमता उत्पन्न करने के लिए सुझाव देना;

(iii) प्रौद्योगिकी और उत्पादों की किस्म के उन्नयन सहित प्रौद्योगिकी की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना;

(iv) विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध सिरेमिक के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं में वृद्धि करना;

(v) जिस सीमा तक मानकीकरण कर लिया गया [illegible] की जांच करना और भारतीय मानक संस्था के परामर्श [illegible]र मानकीकरण करने के विशिष्ट कार्यक्रमों को विकसित करना;

(vi) मशीनों भट्ठों, आदि, देशी तथा आयातित दोनों, की आवश्यकताओं पर विचार करना;

(vii) कच्चे माल और ऊर्जा संबंधी अन्तर्वस्तुओं की आवश्यकताओं पर विचार करना जिसमे उनका परिरक्षण/प्रतिस्थापन भी शामिल है ;

(viii) विद्यमान एककों का आधुनिकीकरण;

(ix) आयात प्रतिस्थापन/निर्यात संवर्धन;

(x) तकनीकी कार्मिकों की आवश्यकता और उनका प्रशिक्षण;

(xi) कोई अन्य सम्बद्ध विषय ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० रामानुजम, निदेशक (प्रशासन)

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1980

सं० सी० 11011(28)-80-प्रशि०—चूंकि यह उचित समझा गया है कि ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर सुलभ करने हेतु योजनाओं को ग्रामीण युवकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए तथा उनके कार्यान्वयन में ग्रामीण युवकों का परामर्श तथा सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए;

अतः भारत सरकार ने ट्राइसेम (स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण) से संबंधित एक अनौपचारिक केन्द्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्न प्रकार से किया है :—

1. कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री — अध्यक्ष
2. ग्रामीण पुनर्निर्माण राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

1. प्रत्येक राज्य से 5 युवा प्रतिनिधि
2. प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र से 2 युवा प्रतिनिधि
3. ग्रामीण विकास तथा युवा कल्याण में रूचि रखने वाली संस्थाओं के 25 व्यक्ति/प्रतिनिधि।
4. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में रूचि रखने वाले 10 उद्योगपति।

सरकारी सदस्य

1. सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार
2. सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार
3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय
4. सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि-मंत्रालय
5. सचिव, श्रम मंत्रालय
6. अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन
7. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय विकास लोक संस्थान
8. संयुक्त सचिव (ग्रामीण रोजगार) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार। — संयोजक,

परिषद के मुख्य कार्य ये होंगे :—

(क) सामान्यतः रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए तथा विशेष रूप से, नीचे दिए गए विषयों से संबंधित योजनाओं का गठन :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर,

(2) इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के लिए ग्रामीण युवकों का वर्गीकरण,

(3) आधारभूत ढांचे के विकास हेतु नीति,

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों के लिए तकनीकी कुशलता का प्रसार,

(5) कच्चे माल की नियमित सप्लाई तथा तैयार वस्तुओं का विपणन,

(6) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास,

(7) योजनाओं की प्रगति का प्रबोधन अनुवर्ती कार्रवाई।

(ख) विभिन्न राज्यों में योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आई कठिनाइयों पर विचार करना तथा साथ ही वास्तविक अनुभव के आधार पर संशोधनों का सुझाव देना,

(ग) ऐसी पद्धतियों का सुझाव देना जिसके द्वारा युवक संगठनों तथा अन्य स्वैच्छिक निकायों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके,

(घ) ऐसे अन्य परामर्शदायी कार्यों को पूरा करना जिनका समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए।

परिषद की बैठक जब कभी आवश्यक हो, वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की अदायगी नहीं की जाएगी लेकिन बैठक के दिनों में निःशुल्क भोजन तथा आवास की व्यवस्था की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के लेखा नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, सभी राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र, इस मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसद पुस्तकालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बेनी कृष्ण शर्मा, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1980

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा समिति।

सं० एफ० 1-26/78-स्कूल-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित निदेशात्मक सिद्धांत से राज्य पर यह जिम्मेदारी आती है कि वह 14 वर्ष की आयु पूरा होने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। भारत सरकार ने 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने तथा 10 वर्ष की अवधि के अंदर व्यापक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का संकल्प किया है। तदनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 25-5-1979 के समसंख्यक संकल्प के जरिए एक राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा समिति गठित की गई थी।

2. दिनांक 25-5-1979 के पिछले संकल्प को रद्द करते हुए यह निर्णय किया गया है कि समिति को कार्यात्मक रूप से सक्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन किया जाए ताकि विशेषतः शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शन तथा इसका निरीक्षण किया जा सके।

3. इस समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

(क) 6–14 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन, विशेषतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

(ग) अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, विभिन्न राजकीय तथा अर्ध-राजकीय एजेंसियों तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उसका मूल्यांकन करना ।

4. समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

अध्यक्ष

1. केन्द्रीय शिक्षा सचिव ।

2 से 10 तक : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के शिक्षा सचिव ।

11. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ।

12. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजक तथा प्रशासक संस्थान, नई दिल्ली

13. अध्यक्ष (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली ।

सदस्य सचिव

14. केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित संयुक्त सचिव।

5. समिति अपनी कार्य प्रणालियां स्वयं निर्धारित करेगी । यह समिति अन्य समितियां तथा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है तथा व्यक्तियों को समिति की किसी विशेष बैठक के लिए तथा इसकी उप-समितियों में कार्य करने के लिए सहयोजित कर सकती है ।

6. समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी किन्तु वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजक और प्रशासक संस्थान को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एम० सत्यम, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 1980

सं० एफ० 1-6/78-एस० पी०-I (डेस्ट-I)—इस मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 1-6/78-एस० पी०-I दिनांक 9 जून 1979 के अनुसरण में और इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 1980 के क्रम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० जोहरी को तत्काल श्री जी० वी० रंगानाथन के स्थान पर अखिल भारतीय खेल परिषद के सदस्य के रूप में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

के० जी० कृष्णामूर्ति, उप सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1980

सं० 2/12/79-यू० एस० डी०-4 (·)—उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० (एन० एच० पी० सी०) को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के अध्यक्ष द्वारा उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में अपने स्थान पर महाप्रबंधक (ई) को नामित किए जाने का सुझाव दिए जाने पर तथा क्षेत्रीय बिजली बोर्डों से संबंधित मामले परमाणु विद्युत प्राधिकरण से परमाणु ऊर्जा विभाग के विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग (पी० पी० ई० डी०) द्वारा ले लिए जाने पर, उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन में यथा उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक हो गया है । इसी के अनुसरण में, उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० बिजली-बो 35(3)/63 दिनांक 13 फरवरी, 1964 के पैरा-दो को निम्नलिखित अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा :—

(1) जम्मू और कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग के आयुक्त तथा पदेन सचिव ।

(2) अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ।

(3) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ।

(4) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ।

(5) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ।

(6) अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड ।

(7) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ।

(8) महाप्रबंधक (ई) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ।

(9) मुख्य इंजीनियर, विद्युत कार्य के प्रभारी, चंडीगढ़ ।

(10) महाप्रबंधक, बदरपुर तापविद्युत केन्द्र (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम), नई दिल्ली ।

(11) प्रमुख, उत्पादन स्कंध, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नई दिल्ली ।

(12) निदेशक, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ।

(13) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि ।

(14) सदस्य-सचिव ।

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा भाखड़ा प्रबंध बोर्ड से सदस्य बारी-बारी से, एक-एक वर्ष के लिए इस क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प जम्मू और कश्मीर सरकार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों को, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, चंडीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों को, प्रधान मंत्री के कार्यालय को, राष्ट्रपति के सचिव को, योजना आयोग को तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd September 1980

RESOLUTION

No. Cer./4(5)/80—Government of India have decided to reconsitute the Development Panel for Ceramic Industry with the following composition for a period of two years from the date of issue of this Resloution :—

1. Shri R. M. Mehra, *Chairmen*
Bombay Potteries & Tiles Ltd.,
P.B. No. 7166, Pipe Road,
Kurla,
Bombay-400070.

2. Shri H. L. Somany, *Member*
Hindustan Sanitaryware and Industries Ltd.,
2, Red Cross Place,
Calcutta-700001.

3. Shri G. K. Bhagat, "
Bengal Potterics Ltd.,
11, Sarojini Naidu Sarini,
Calcutta-700017.

4. Shri V. Srinivasan, "
W. S. Insulators of India Ltd.,
Post Box No. 1313,
St. Thomas Mount H. O.,
Madras-600016.

5. Shri K. K. Bhatia, "
U. P. Ceramic & Potteries Ltd.,
Model Town,
Ghaziabad-201001 (U. P.)

6. Shri M. B. Ajwani, "
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
Electro-Porcelains Division,
Bangalore-560012.

7. Dr. V. P. Maheshwary, "
Director (Glass & Ceramics),
Office of the Development
Commissioner (Small Scale Industries),
7th Floor, Nirman Bhavan,
New Delhi-110011.

8. Dr. S. K. Guha, "
Scientist 'E'
Central Glass and Ceramic Research Institute,
P. O. Jadavpur University,
Calcutta-700032.

9. Director/Deputy Secretary incharge of Ceramic Industry, "
Deptt. of Industrial Development,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

10. Development Officer (Ceramics), *Member-Secretary*
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

2. The terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To consider the present stage of development of the ceramic industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) To study the state-wise/regionwise requirement of various ceramic products and make suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs.

(iii) Forecasting of future technological needs including upgradation of technology and quality of products.

(iv) To augment research & development facilities in the ceramic field available in various institutions.

(v) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the Indian Standards Institution.

(vi) To consider the requirements of machinery, Kilns etc., both indigenous and imported.

(vii) To consider the requirements of raw materials and energy inputs including their conservation/substitution.

(viii) Modernisation of existing units.

(ix) Import substitution/export promotion.

(x) Technical manpower requirements and their training.

(x) Any other relevant matter.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all cocerned,.

Order also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. RAMANUJAM, (Dir. Admn.)

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 26th August 1980

No. C-11011/28/80-TRGER—Whereas, it is considered expedient that the schemes for providing employment opportunities to rural youth should be formulated in consultation with the representatives of rural youth, and that their advice and cooperation should be sought in the course of their implementation ;

Therefore, the Government of India have constituted an Informal Central Advisory Coucil on TRYSEM (Training of rural youth for self-employment) as under :—

1. The Minister for Agriculture and Rural Reconstruction *Chairman*

2. Minister of State for Rural Recostruction *Vice-Chairman*

Non Official Members

(i) 5 youth representatives from each state

(ii) 2 youth representatives from each U. T.

(iii) 25 individuals/representatives of institutions interested in Rural Development and Youth Welfare

(iv) 10 Industrialists interested in rural development programmes.

Official Members

1. Secretary, Ministry of Rural Reconstruction Government of India,.

2. Secretary, Planning Commission, Govt. of India.

3. Secretay, Department of Industrial Development Ministry of Industry.

4. Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

5. Secretary, Ministry of Labour.

6. Chairman, Khadi & Village Industries Commission.

7. Managing Director, Peoples' Action Development (India)

8. Joint Secretary (Rural Employment),
Ministry of Rural Reconstruction, Government of India
Convenor

The main functions of the Council will be :—

a) the formulation of the schemes for generation of

new employment opportunities generally, and in particular, relating to :

(i) Self-employment opportunities in the rural areas ;

(ii) categorisation of rural youth for priority under this scheme;

(iii) strategy for the infra-structural development ;

(iv) dissemination of technical skill to the youth in rural areas ;

(v) regular supply of raw material and marketing of finished goods ;

(vi) developing technology appropriate to the rural areas;

(vii) monitoring and follow-up of the progress of schemes,

(b) to consider the difficulties encountered in the process of implementation of the scheme in various States as also to suggest modifications in the light of actual experience;

(c) to suggest the methods, by which youth organisations and other voluntary bodies can be associated actively in the implementation of the programme;

(d) to carry out such other advisory functions as may be decided by Government from time to time

The Coucil will meet as and when necessary, and atleast once in a year.

No T A & D A will be paid to the non-official members but arrangements will be made for free board and lodging during the days of meeting.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be forwarded to all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Sectt., Comptroller and Auditor General of India. All States and Union Territories, All attached and subordinate offices of the Ministry, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Sectt. and Parliament Library.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

B. K. SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 26th August 1980

RESOLUTION

SUBJECT:—National Committee of Elementary Education.

No. F.1-25/78-Schools II——The directive principle enshrined in Article 45 of the Constitution of India enjoins upon the State to provide free and compulsory education for all children till they complete the age of 14. The Government of India have resolved to accord high priority to the programme of universalising elementary education for 6-14 age-group children and take all necessary steps for organising a massive programme to reach the goal of universal elementary education within a period of 10 years. Accordingly a National Committee on Elementary Education was set up in this Ministry's Resolution of even number dated 25-5-1979 .

2. To make the Committee more functionally active, it has been decided, in supersession of the earlier Resolution dated 25-5-1979, to reconstitute the National Committe to guide and oversee the programme of universalisation of elementary education particularly in the 9 educationally backward states.

3. The functions of this Committee shall be as follows :—

(a) To advise the Government of India on all matters relating to the programme of universalisation of elementary education for 6-14 age-group.

(b) To review the progress of implementation of the programme, in particular in the nine educationally backward States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.

(c) To oversee the implementation of the centrally sponsored sector scheme of experimental projects of non-formal education.

(d) To secure coordination between Central and State Governments, among the various governmental and semi-governmental agencies and between official and non-official agencies, in the implementation of the centrally sponsored sector scheme.

(e) To review and evaluate from time to time the progress of implementation of the scheme.

4. The composition of the Committee shall be :

Chairman

1. Union Education Secretary.

2. to 10. Education Secretaries of the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.

11. Director, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

12. Director, National Institute of Educational Planners and Administrators, New Delhi.

13. Chief (Education), Planning Commission, New Delhi.

Member Secretary

14. Joint Secretary concerned with Elementary Education in the Union Ministry of Education.

5. The Committee shall determine its own procedures of work. It may appoint committees and sub-committees and may co-opt individuals for a particular meeting of the Committee and to serve on its sub-committees.

6. The Committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State, Governments, Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office, National Council of Educational Research and Training and National Institute of Educational Planners and Administrators.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Jt. Secy.

New Delhi, the 9th September 1980

No. F.1-6/78-SP.I(D.I)—In pursuance of this Ministry's Resolution No. F. 1-6/78-SP. I dated the 9th June, 1979 and in continuation of this Ministry's notification of even no. dated the 25th August, 1980, Shri P. Johri, Joint Secretary, Ministry of External Affairs is hereby appointed as a Member of the All India Council of Sports with immediate effect, to represent the Ministry of External Affairs *vice* Shri C. V. Ranganathan.

K. G. KRISHNAMOORTHY, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF POWER

New Delhi, the 18th September 1980

RESOLUTION

No. 2/12/79-USD-IV(.)—With a view to give representation to the National Hydro Electric Power Corporation Ltd. (NHPC) on the Northern Regional Electricity Board (NREB) and the Chairman, Delhi Electric Supply Committee having suggested nomination of General Manager(E) in his place in the NREB, and the matters pertaining to the Regional Electricity Boards having been taken over by the power Projects Engineering Division (PPED) of the Department of Atomic Energy from the Atomic Power Authority, it has become necessary to suitably amend the composition of the Northern

Regional Electricity Board. In pursuance thereof, para II of the Resolution No. EL. II 35(3)/63 dated 13th Feb., 1964 relating to the composition of Northern Regional Electricity Board, as amended from time to time, shall be reconstituted as follows :

The Commissioner for Power Development Department and Ex-officio Secretary to the Govt. of Jammu and Kashmir.

(ii) The Chairman, Punjab State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Rajasthan State Electricity Board.

(iv) The Chairman, UP State Electricity Board.

(v) The Chairman, Haryana State Electricity Board.

(vi) The Chairman, Bhakra Management Board.

(vii) The Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board.

(viii) The General Manager (E) Delhi Electric Supply Undertaking.

(ix) The Chief Engineer, Incharge of Electricity Works, Chandigarh.

(x) The General Manager, Badarpur Thermal Power Station (NTPC), New Delhi.

(xi) The Head of the Generation Wing, NHPC, New Delhi.

(xii) The Director, PPED, Department of Atomic Energy or his nominee.

(xiii) A representative of the CEA.

(xiv) The Member Secretary.

The Members from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bhakra Management Board shall be the Chairman of the Regional Electricity Board for a period of one year each by rotation.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to Government of Jammu & Kashmir, Governments and State electricity Boards of Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, and Himachal Pradesh, the Delhi Electric Supply Undertaking, the Chandigarh Administration, the Bhakra Management Board, the Department of Atomic Energy, the National Hydro Electric Power Corporation, the Central Electricity Authority, the Northern Regional Electricity Board, the Ministries of the Govt. of India, the Prime Minister's office, the Sectretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for General Information.

S. RAMESH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980